

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोकसभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2282  
दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य योजनाएं

2282. श्री अजय कुमार मंडल:  
श्री महाबली सिंह:  
श्रीमती लॉकेट चटर्जी:  
श्रीमती नवनित रवि राणा:  
श्री सुनील कुमार पिन्दू:  
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:  
श्रीमती गीता कोड़ा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का जिले-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त प्रयोजनार्थ वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान जिले/योजना-वार कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;
- (ग) बिहार (वर्ष 2023-24 के ब्यौरे सहित), पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा के सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और झारखंड के अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय योजनाओं का जिले-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) वर्ष 2022-23 (बिहार के लिए 2023-24 सहित) के दौरान जिले/योजना-वार कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;
- (ङ) क्या अमरावती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं; और
- (च) यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए कौन-कौन से आवश्यक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मौजूदा उप केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का रूपांतरण करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूर्ववर्ती आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य

एवं आरोग्य केन्द्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) का प्रचालन करना, संविदा आधार पर स्वास्थ्य मानव संसाधन को नियोजित करने संबंधी सहायता, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाईल मेडिकल यूनिट्स, आशाकर्मी, अवसंरचना सुदृढीकरण, 24x7 सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधाएं, मेरा अस्पताल, कायाकल्प पुरस्कार योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यान्वयन और संबंधित क्रियाकलाप, लक्ष्य प्रमाणन, बायोमेडिकल उपकरण रखरखाव और प्रबंधन कार्यक्रम, निः शुल्क नैदानिक सेवा पहल और निः शुल्क औषधि सेवा पहल शामिल हैं। इसके अलावा, मिशन परिवार विकास, किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी), साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड संपूरण (डब्ल्यूआईएफएस), माहवारी स्वच्छता योजना, सुविधाकेंद्र आधारित नवजात शिशु परिचर्या (एफबीएनसी), गृह आधारित नवजात शिशु परिचर्या कार्यक्रम, सामाजिक जागरूकता और निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने संबंधी कार्य (एसएएनएस), छोटे बच्चों के लिए गृह आधारित परिचर्या (एचबीवाईसी), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास (ईसीडी), व्यापक गर्भपात परिचर्या (सीएसी), एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए), पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) कार्यक्रम और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जैसी पहलें की गई हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार रिकॉर्ड ऑफ प्रोसिडिंग्स (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के लिए बिहार सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए आरओपी का विवरण निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है:

<https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744>

बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड सहित सभी राज्यों के जिलों के अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ करने के लिए आपातकालीन कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईसीआरपी-I और II पैकेज), प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और 15वें वित्त आयोग के तहत निधियां अनुमोदित की जाती हैं।

(ड) और (च) : महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, अमरावती में यूरोलॉजी विभाग, प्लास्टिक सर्जरी, बाल चिकित्सा सर्जरी, डायलिसिस, न्यूरो सर्जरी, ऑनको सर्जरी, कार्डियक कैथ लैब विभाग चल रहे हैं। राज्य सरकार कार्यों का नियमित फॉलोअप कर रही है और जिला अधिकारियों को कार्य पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*